



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Kadar Nawaz Khan
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

क्रमांक : 048/2017-18/राष्ट्रीय संगोष्ठी/कार्यशाला/परिचर्चा/80/35
दिनांक : 21.01.2026

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए दिनांक 25 जनवरी, 2026 को प्रातः 10.00 बजे से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में मुख्य प्रवेश द्वार गेट नं. 01 के बगल में रखे पत्थरों पर किया जाएगा।

डॉ. सतीश पावडे, सहायक प्रोफेसर, प्रदर्शनकारी कला विभाग को चित्रकला प्रतियोगिता का संयोजक एवं डॉ. राम अवध, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग को सह-संयोजक नामित किया जाता है।

चित्रकला प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु निम्नानुसार आयोजन समिति एवं निर्णायक मंडल का गठन किया जाता है :

आयोजन समिति	निर्णायक मंडल
1. डॉ. विधु खरे दास, सहायक प्रोफेसर, प्रदर्शनकारी कला विभाग 2. डॉ. वीरेन्द्र प्रताप यादव, सहायक प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग 3. डॉ. संदीप सपकाले, सहायक प्रोफेसर, मराठी विभाग 4. डॉ. चन्द्रशेखर पांडेय, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग 5. श्री बी. एस. मिरगे, जनसंपर्क अधिकारी 6. डॉ. राम अवध, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग (सह-संयोजक)	1. श्री आशीष पोहाने, वर्धा 2. श्री संजय तिळले, वर्धा 3. श्री आशीष उजवणे, नागपुर

प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः ₹. 3000/-, ₹. 2000/- एवं ₹. 1000/- की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। प्रतिभागियों को रंग, ब्रश आदि आवश्यक सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)
21/01/26

प्रति (ई-मेल द्वारा) : उपर्युक्त समस्त संबंधिता

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति सचिवालय
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक
3. वित्त विभाग
4. प्रभारी लीला (विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
5. संबंधित पत्रावली